



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बंगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BANGALORE - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं.1491/Type Approval No.1491

मद/For Item : / पवर सप्लै कार्ड पार्ट सं 2095-302-001 (सीडीएसी)
Power Supply Card Pt. No. 2095-302-001 (CDAC)

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स सेंटर फ़ॉर डेवलपमेन्ट ऑफ अड्वान्सड कंप्यूटिंग, (सीडीएसी), (भूतपूर्व ईआरएण्डडीसीआई), वेल्लयंबलम, तिरुवनन्तपुरम, केरल -695 003 द्वारा अभिकल्पित, विकसित और उत्पादित “पवर सप्लै कार्ड” पार्ट सं.2095-302-001(सीडीएसी) को आरेखन सं.डीपीडी पीई 060 0001, इश्यू-1 दिनांक 27/05/2002 के अनुसार मिराज-2000 के ईएसएआईबी एलआरयू में ओन टू ओन रिप्लेसमेंट में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह उत्पाद आर.सी.एम.ए(वायुयान) के समन्वय से क्वालिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट सं.आरटीआर पीई 060 0008 दिनांक 04/02/2004 और नियंत्रक विनिर्देश सं.टीआरडी पीई 060 0002 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह उत्पाद परिशिष्ट‘ए’ में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित विनिर्देश/परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to State that the “Power Supply Card” bearing the Pt. No. 2095-302-001 (CDAC), designed, developed and produced by M/s. Centre for Development of Advanced Computing(CDAC), (Erstwhile ER&DCI) Vellayambalam, Thiruvananthapuram, Kerala – 695 033, is hereby approved for production as per drawing No. DPD PE 060 0001, Issue-1 Dt: 27/05/2002 for use on one to one replacement in ESAIB LRU of Mirage - 2000. It has been tested as per Qualification Test report No. RTR PE 060 0008 dt.04/02 2004 and governing specification No. TRD PE 060 0002, in co-ordination with RCMA (Aircraft). The product has met the requirements of the specification/ tests as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix ‘A’.

पृष्ठ/Page 01 of 02

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी होने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अनंतिम निकासी भंग हो जाती है । इस उत्पाद के निर्माण के लिए अपनायी गई विधि को अब से सील कर दिया जाता है । ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या का उल्लेख सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में किया जाना चाहिये ।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन **30 जून 2015** तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाये और इसके बाद इसका नवीकरण करवाना होगा । विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन प्रतिसूचना को सम्मिलित करते हुए सभी संगत दस्तावेजों के साथ **आर सी एम ए (वायुयान)** से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 30th June 2015 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Aircraft) for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में इंगित एसओपी और निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो **सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक)**, बेंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes if any to the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.

5 यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए निश्चित रूप से दर्शायी गई विधियों के अनुसरण और निरीक्षण शेड्यूल, एटीपी, क्यूटीपी, अभिकल्प दस्तावेज और आरेखनों के गुणवत्ता नियंत्रण के पहलुओं को सेमिलाक द्वारा विधिवत् रूप से अनुमोदित टीओटी दस्तावेज में निर्धारित करना होगा ।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of inspection Schedule, ATP, QTP, design documents & Drawings are required to be defined in the TOT document duly approved by CEMILAC.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट'ए'/Appendix 'A'

सं/No.: सेमिलाक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 1491

दिनांक/Date : 28 Apr 2010

फेक्स सं/Fax No: 080-25230856


28/04/10



(के.तमिलमणि/K.TAMILMANI)

उत्कृष्ट वैज्ञानिक / वै 'एच'/Outstanding Scientist /Sc-'H'

मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/

Chief Executive (Airworthiness)